संजय नाम (गो०स०)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ प्र०क्र० 136

सं	दिनांक आज्ञा /कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/3/26	फरावली आम पथ हेतु। आज वकता अर्थी उपस्थित। आज वकता अर्थी श्री ब्रह्म कुमार अर्थ एवं फरावली पर उपस्थित निर्थ का अवलोकन किया प्रस्तागत भूमि (ग०नं० 216/3.28 हे० में से हिस्सा 1/48 बी० अर्थी ने राजस्व विभाग पत्र अपने नाम दखलकार/जिसे अर्थी का नाम संजय यादव है। दिनांक 16.4.2025 को राजस्व विभाग-पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय अर्थी का नाम संजय लिखें दर्ज कर दिया गया था जबकि आधार कार्ड में अर्थी का नाम संजय यादव होना प्रतीत है। इसलिए उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः अर्थी का अर्थना-पत्र B.L.R. Act सीमा में किया गया है। गुप्त मालोजी व अ० (ग०नं०

फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

संजय बनाम राज० सरकार

संख्या/वर्ष 26/2025 प्रा० पत्र 136 प.नि. /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/3.25 को मौके पर खसरा 1/48 में बाकी वर नाम संजयसिंह के स्थान पर संजय यादव दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ तहसीलदार जाती है। निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)